बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राज0) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं :–0151–2226902, 0151–2226905,

EMAIL ADDRESS :-Nagarnigambikaner@gmail.com, Website :- bikanermc.org

क्रमांकः– अन्य राजस्व / 2018 / 171 – 182 दिनांकः– 25/9/18

नीलामी सूचना

बीकानेर नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिंग / यूनिपोल (20'×10' वर्ग फुट) द्वारा प्रदर्श जोन संख्या प्रथम के लाईसेंस के लिए अवधि तीन वर्ष (एक वर्ष + दो वर्ष के लिए नवीनीकरण आधार पर) के लिए स्वीकृत सूची के अनुसार साईट्स की खुली नीलामी दिनांक 12.10.2018 को दोपहर 2.00 बजे से अंतिम व उच्चतक बोली प्राप्त होने तक रखी जाती है। खुली नीलामी दिनांक को अंतिम उच्चतम बोली स्वीकार योग्य प्राप्त न होने की स्थिति में आगामी कार्यदिवस को बोली निरन्तरता में जारी रहेगी।

क्र. स.	विवरण	आरक्षित राशि	धरोहर राशि
01.	भीमसेन सर्किल व रोड, कीर्ति स्तम्भ रोड, दीनदयाल सर्किल, पब्लिक पार्क गेट के पास, सार्दुल सिंह सर्किल के.ई.एम. रोड सार्दुल स्कूल राजीव गांधी मार्ग, करणीसिंह सर्किल, रेल्वे स्टेशन, क्रोसिंग पुलिस लाईन, पुगल रोड; जूनागढ, गंगानगर	38,44,655	1,00,000 / –रू.

इच्छुक बोलीदाता धरोहर राशि जमा करवाकर नीलामी दिनांक को दोपहर 2:00 बजे तक जरिये बैंकर चैक / डी.डी / नगद नगर निगम में जमा करवाकर नीलामी में भाग ले सकता है।अन्तिम व उच्चतम बोलीदाता को नीलामी की एक चौथाई राशि नीलामी समाप्ति पर उसी दिन निगम कोष में जमा करवानी होगी। नीलामी शर्ते व अन्य विवरण नीलामी दिनांक तक किसी भी कार्यदिवस में निगम कार्यालय में कक्ष नं. 23 व निगम की वेबसाइट www.bikanermc.org में देखी जा सकती है। नीलामी के संबंध में बीकानेर नगर निगम का निर्णय अन्तिम होगा।

(प्रदीप के गावंडे)IAS
आयुक्त

NOT TO BE PUBLISHED

क्रमांक – अन्य राजस्व / 2018 / 171 – 182 दिनांक – 25/9/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. माननीय महापौर महोदय, नगर निगम बीकानेर।
02. श्रीमान् जिला कलक्टर, बीकानेर।
03. श्रीमान् निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त नीलामी सूचना का कम से कम स्पेस में नियमानुसार सर्वाधिक प्रसारित होने वाले एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार–पत्र में नियमानुसार प्रकाशन करवाने की व्यवस्था करें तथा प्रकाशन उपरान्त समाचार पत्र की तीन प्रतियां एवं भुगतान हेतु बीकानेर नगर निगम को भिजवाने का श्रम करवायें।
04. श्रीमान् उपायुक्त (पूर्व / पश्चिम), नगर निगम बीकानेर।
05. मुख्य लेखाधिकारी को भेजकर लेख है कि नीलामी दिनांक को खुली नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं द्वारा उक्तानुसार जमा कराई जाने वाली धरोहर राशि को नियमानुसार जमा करवाने की व्यवस्था करें।
06. उपविधि परामर्शी / राजस्व अधिकारी प्रथम / सचिव, नगर निगम बीकानेर।
07. निजी सहायक नगर निगम बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त नीलामी दिनांक को नीलामी कार्यवाही की विडियोग्राफी करवाने एवं आवश्यकतानुसार माईक उपलब्ध कराने की व्यवस्था करावें।
08. ओसवाल डाटा, बीकानेर नगर निगम को भेजकर लेख है कि नीलामी सूचना को नगर निगम की वेबसाईट पर प्रकाशन करावें।
09. नोटिस बोर्ड बीकानेर नगर निगम।

(प्रदीप के गावंडे)IAS
आयुक्त

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राज0) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं :–0151–2226902, 0151–2226905,
EMAIL ADDRESS :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- bikanermc.org

<u>यूनिपोल / होर्डिंग पर विज्ञापन प्रदर्शित करने के लाईसेंस की शर्ते</u>

नगरीय सीमा में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले युनिपोल / होर्डिंग जोन प्रथम (स्वीकृत सूची अनुसार) की नीलामी एंव लाईसेन्स की शर्ते :–

1. युनिपोल / होर्डिंगस साईट्स के लिए प्रथम जोन साईट्स की खुली नीलामी आमंत्रित की जायेगी।
2. नगर निगम द्वारा केवल साईट नीलाम की जा रही है। इस स्थान पर युनिपोल / होर्डिंग का निर्माण, युनिपोल / होर्डिंग स्थापित करने व उस पर विज्ञापन का व्यय अनुज्ञापत्रधारी को करना होगा ।
3. नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले युनिपोल / होर्डिंग साईट की नीलामी अवधि तीन वर्ष (एक वर्ष + दो वर्ष नवीनीकरण) के लिए मान्य होगी, जिसका साईज 20' X 10' फीट स्वीकृत सूची के अनुसार साईट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावेगी ।
4. खुली निलामी में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक बोलीदाता को नीलामी सूचना के अनुसार धरोहर राशि ~~पचास हजार~~ एक लाख रूपये नगर निगम कोष में जमा कराने होगें । उच्चतम बोलीदाता की धरोहर राशि लाईसेंस समयावधि बोलीदाता को समय अवधि समाप्त होने के पश्चात् ही लौटाई जायेगी । अन्य बोलीदाताओं को धरोहर राशि नीलामी के पश्चात् वापस कर दी जावेगी एंव द्वितीय बोलीदाता की धरोहर राशि 15 दिवस के पश्चात् ही लौटाई जायेगी। नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार नगर निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
5. नीलामी के पश्चात् उच्चतम बोली स्वीकृत होने की स्थिति में उच्चतम बोलीदाता को बोली की एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी तथा शेष 3/4 राषि खुली नीलामी दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा करानी होगी। निर्धारित अवधि में राशि जमा कराने में असफल रहने पर बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई समस्त राषि जब्त की जा सकेगी एंव भविष्य में नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा। दूसरे वर्ष के लिए लाईसेन्स पूर्ण होने पर गत वर्ष की नीलामी राशि में 10 प्रतिशत राशि वृद्धि कर <u>**समस्त राशि जमा होने के पश्चात् ही दूसरे वर्ष व तीसरे वर्ष के लिए लाईसेन्स जारी किया जावेगा, नवीनीकरण राशि ठेका अवधि शुरू होने से दो माह पूर्व जमा करानी होगी। राशि निर्धारित अवधि में जमा नही करने पर धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी एवं नयी नीलामी इनके रिस्क एंड कोस्ट के आधार पर जारी की जावेंगी।**</u>
6. संवेदक द्वारा नियमानुसार देय राशि नियत समयावधि के पष्चात् जमा कराने पर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा।
7. साईट नीलामी किये जाने के पश्चात् युनिपोल / होर्डिंग लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा।
8. उच्चतम बोलीदाता द्वारा साइट्स की राशि शर्तानुसार समय पर जमा कराने पर बोलीदाता को साईट का अनुज्ञा–पत्र साईट प्लान सहित जारी किया जावेगा ।
9. कोई बोलीदाता शर्तो की पालना किये बिना युनिपोल / होर्डिंग नहीं लगायेगा। अनुज्ञापत्रधारी या उसके अधिकृत व्यक्ति ही इस कार्य के लिए अधिकृत होगें । युनिपोल / होर्डिंग निलामी शर्तो / उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञा पत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साईट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम बीकानेर के पक्ष में जब्त की जावेगी । साईट अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साईट से अनुज्ञापत्रधारी के युनिपोल / होर्डिंग बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा ।
10. लाईसेन्स अवधि समाप्ति पर युनिपोल / होर्डिंग नहीं हटाने पर निगम हटा सकेगा एंव हर्जा–खर्चा फर्म से वसूल किया जायेगा ।
11. युनिपोल / होर्डिंग अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साईट प्लान के अनुसार ही लगाया जावेगा । इससे भिन्न रूप से लगाये गये युनिपोल / होर्डिंग को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एंव जिसका हर्जा–खर्चा फर्म से वसूल किया जायेगा ।
12. बीकानेर के सौन्दर्यकरण एंव आधुनिक करण की दृष्टि से इन युनिपोल / होर्डिंग का निर्माण स्पेशिफिकेशन (SPECIFICATIONS) के अनुसार करना होगा एंव उसी के अनुरूप इनका संधारण (रखरखाव) किया जावेगा ।
13. युनिपोल / होर्डिंग पर अश्लील एंव आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जावेगा एंव ELECTRIC CONNCETION बिल का भुगतान लाईसेन्सी को वहन करना होगा ।

14. बोलीदाता द्वारा निलामी में लिये गये प्रत्येक युनिपोल/होर्डिंग पर अपने फर्म का नाम एंव विज्ञापन पट्ट साईट नं. पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करने होगें । ऐसा न करने पर युनिपोल/होर्डिंग बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एंव लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा ।
15. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह युनिपोल/होर्डिंग को मजबूती से स्थापित करें, ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में युनिपोल/होर्डिंग नीचे नहीं गिरी । अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि युनिपोल/होर्डिंग की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व लाईसेन्सधारक का होगा। युनिपोल/होर्डिंग गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई अनुज्ञापत्रधारक के स्वंय की होगी । नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम बीकानेर (विज्ञापन) उप विधियों 2015 के प्रावधानों एंव राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/बीकानेर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एंव निर्देशों की पालना करेगें ।
17. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी को अनुज्ञापन अधिकारी अथवा लाईसेंसीग ऑथोरिटी के आदेश एंव निर्देशों की पालना के लिये बाध्य होगी । इन आदेशों की अपील नगर निगम के समक्ष गठित समिति/बोर्ड को की जावेगी । जिसका निर्णय अंतिम होगा ।
18. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के युनिपोल/होर्डिंग मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध, बाधा, विघ्न पैदा करते है तो सूचना के दो घण्टे के अन्दर नियमानुसार खड़ा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी । अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी ।
19. निलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा ।
20. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तो की पालना करने के लिये बाध्य होगा एंव किसी भी एक या अधिक शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र आयुक्त/राजस्व अधिकारी (लाईसेसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा तथा अनुज्ञापत्रधारी की साईट/साईट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा ।
21. समय-समय पर राज्य सरकार एंव केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है तो लाईसेंसी को ही जमा करने की जिम्मेदारी होगी ।
22. निलामी मे लिये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरूद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि वसूली के लिए राज. नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत की जावेगी ।
23. समय-समय पर जनहित में तथा सरकारी योजनाओं, उपलब्धियों कार्यक्रम आदि के प्रचार-प्रसार हेतु होर्डिंग/यूनिपोल साईटस की नगर निगम को आवष्यकता होने पर संवेदक द्वारा निगम की आवश्यकतानुसार साईटस उपलब्ध करवाई जावेगी। इस हेतु नगर निगम द्वारा किसी प्रकार का भुगतान संवेदक को नहीं किया जावेगा तथा न ही संवेदक द्वारा निगम कोष में जमा करवाई गई राषि का किसी तरह से समायोजन किया जावेगा।
24. इन शर्तो में संशोधन एंव परिवर्तन का अधिकार नगर निगम बीकानेर का होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारी को मान्य होगा ।
25. ईच्छुक व्यक्ति निलामी से पूर्व साईट स्थल एंव शर्तो का अवलोकन कर लेवें ।
26. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन किसी साईट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वंय के खर्चे पर करना होगा ।
27. अगर कोई युनिपोल/होर्डिंग जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से नगर निगम बीकानेर (विज्ञापन) उपविधियों-2015 के अनुसार राशि वापस करने की कार्यवाही की जावेगी ।
28. इस अनुज्ञापत्र के संबंध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार बीकानेर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा ।
29. लाईसेंस की शर्तो के संबंध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्माण निगम विज्ञापन समिति का होगा, जो मान्य होगा ।
30. सभी युनिपोल/होर्डिंग सिल्वर रंग के होगें, जिनको सही हालत में रखना होगा एंव साईट पर फर्म का नाम एंव साईट संख्या लिखना अनिवार्य होगा ।
31. साईट संख्या में वृद्धि एवं कमी करने का अधिकार आयुक्त बीकानेर नगर निगम को सुरक्षित रहेगा।

राजस्व अधिकारी प्रथम **बीकानेर नगर निगम**	**मुख्य लेखाधिकारी** **बीकानेर नगर निगम**	**उपविधि परामर्शी** **बीकानेर नगर निगम**	**उपायुक्त** **बीकानेर नगर निगम**